Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
UGC Approved Journal No. 63726
Impact Factor: 4.081
Volume-12, Issue-3, December-2018 www.researchguru.net

दलितों के 2 अप्रैल के भारत बंद की मीडिया कवरेज का अध्ययन

Dr Om Shankar Gupta
Sr Producer, samay news network. Delhi, Guest Faculty, MCU, Noida Campus

सारांश (Abstract):

दलित संगठनों के 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद आंदोलन को लेकर मीडिया खासतौर पर प्रिंट मीडिया से चूक हुई। मुद्दों के निर्धारण (AGENDA SETTINGS) के दौर में भारतीय मीडिया खासतौर पर प्रिंट मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के एससी/एसटी मामले में फैसले पर अधिक ध्यान नहीं दिया। मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंदर ही अंदर उबल रहे दलित संगठनों के विरोध को भी खबरों के बीच जगह नहीं दी। यही वजह रही कि 2 अप्रैल के दलितों के राष्ट्रव्यापी बंद का अंदाजा लगाने में मीडिया विफल रहा। इसका कारण मीडिया का दलितों के प्रति उपेक्षा का भाव है या बाजार में टिके रहने की विवशता या फिर मीडिया दलितों को हाशिए पर रखना चाहता है।

विषय संकेत (key words)– दलित, मीडिया, आंदोलन, समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया, सुप्रीम कोर्ट, एससी/एसटी

भूमिका (Introduction):

अनुसूचित जाति/जनजाति कानून 1989 का संक्षिप्त परिचय :

SC/ST ACT 1989 यानि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को 11 सितंबर 1989 को पारित किया गया। इसे 30 जनवरी 1990 को पूरे देश में लागू किया गया (जम्मू–कश्मीर को छोड़कर)। इस अधिनियम में कहा गया है कि यह कानून अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के अलावा देश के हर उस नागरिक पर लागू होगा जो एसी/एसटी वर्ग के सदस्यों का उत्पीड़न करेगा। यह अधिनियम एससी/एसटी वर्ग के लोगों के सम्मान, स्वाभिमान, उत्थान और उनके हितों की रक्षा के लिए लाया गया। ताकि इन वर्गों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इस अधिनियम मे 5 अध्याय और कुल 23 धाराएं दी गई हैं। इस एक्ट का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकना और अपराध करने वाले को दंडित करना है। इस अधिनियम के जरिए एससी/एसटी वर्ग में आने वाली लोगों को विशेष सुरक्षा और अधिकार प्रदान किए गए। इस अधिनियम में विशेष अदालतों का प्रावधान किया गया ताकि जो केस दर्ज हों उनका जल्दी फैसला हो सके। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ होने वाले क्रूर और अपमानजनक अपराध, जैसे

- उन्हें जबरन मल, मूत्र खिलाना
- सामाजिक बहिष्कार करना
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य से व्यापार से इनकार करना
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को काम ना देना/ नौकरी न देना
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाना
- उनके घर के आस–पास या परिवार में उन्हें अपमानित करने की नीयत से कूड़ा–करकट, मल या मृत पशु का शव फेंक देना
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के बलपूर्वक कपड़े उतारना/ नंगा करके /उसके चेहरें पर पेंट पोत कर घुमाना

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की जबरन खेती जोत लेना/ उस भूमि पर कब्जा कर लेना

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भीख मांगने के लिए मजबूर करना या बंधुआ मजदूर बनाना

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वोट न डालने देना/खास उम्मीदवार को वोट करने के लिए विवश करना

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला का इच्छा के विरूद्ध/बलपूर्वक यौन शोषण करना

• उपयोग में लाए जाने वालें जलाशय या जल स्त्रोतों का गंदा कर देना अथवा अनुपयोगी बनाना

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकना

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को मकान या निवास स्थान छोड़नें पर मजबूर करना

इन अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही क्रूरतापूर्ण हत्या के अपराध के लिए मृत्युदण्ड की सजा का भी प्रावधान है। कोई सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जानबूझ कर इस अधिनियम का पालन करने में लापरवाही करता है तो उसे भी 6 माह से एक साल तक की सजा दी जा सकती है।

सरकारी अधिकारियों को इस कानून के तहत इन कर्तव्यों का पालन करना होगा

• FIR दर्ज करनी होगी

• हस्ताक्षर लेने से पहले पुलिस थाने में दिए गए बयान को पीड़ित को पढ़ कर सुनाना पड़ेगा

• जानकारी देने वाले व्यक्ति को बयान की प्रतियां देनी होंगी

• पीड़ित या गवाह का बयान रिकॉर्ड करना होगा

• FIR दर्ज करने के 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी[1]

पृष्ठभूमि (Background):

यह कानून 1989 से मार्च 2018 तक यथावत रहा। इस कानून के तहत कई मामलों में निर्दोषों को जेल जाना पड़ा। कई मामलों में झूठे आरोप में लोगों को कष्ट झेलना पड़ा। कहा जाता है कि दलित उत्पीड़न कानून का सदुपयोग कम और दुरुपयोग अधिक हुआ। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मामले में फैसला दिया कि इस कानून के तहत बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। मामला महाराष्ट्र का था। पुणे के एक सरकारी कॉलेज में कर्मचारी भाष्कर गायकवाड़ ने सीआर खराब करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल समेत राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। इस केस के खिलाफ हाईकोर्ट में राहत न मिलने पर कॉलेज के प्रिंसिपल और डीटीई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जहां पर एक बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संदर्भ में बिना जांच के गिरफ्तारी गलत है। 20 मार्च 2018 को जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने कहा कि कड़े कानूनों के प्रावधानों के तहत किसी भी पब्लिक सर्वेंट की गिरफ्तारी डीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा जांच के बिना नहीं की जा सकेगी। इस फैसले के बाद देशभर के दलितों में नाराजगी हुई। सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन का संदेश फैला। 2 अप्रैल को दलित संगठनों ने देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन किए। हालांकि ये आंदोलन एक ही दिन चला। आंदोलन को मीडिया ने खूब कवरेज दी।

साहित्य समीक्षा (Literature review)

1– ''न्यू मीडिया और दलितों का सशक्तिकरण'' (New media and empowerment of dalits 1 KN Mahadevaswam] 2 Dr- Varghese PA) के एन महादेवन और डॉ पी ए वर्गीज ने इस विषय पर शोध किया। उनके शोध के निष्कर्ष के मुताबिक –

1–नई सहस्राब्दी में न्यू मीडिया एप्लिकेशन सहभागी संचार और विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखते हैं।

2– डिजिटाइजेशन बढ़ने के साथ समाज में डिजिटल विभाजन भी बढ़ा है। इससे मानव जाति का विकास भी बाधित हुआ है।

3– सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में न्यू मीडिया की बड़ी भूमिका को संस्थान और विद्वान भी मानने लगे हैं।

4– राष्ट्रीय विकास में मीडिया की भूमिका पर डॉ भीमराव अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य को व्यापक रूप से मीडिया विद्वानों द्वारा अत्यधिक प्रगतिशील माना जाता है।

5– दलितों के सशक्तिकरण में न्यू मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है।[2]

2– ''भारत में वैश्वीकरण के दौर में दलित महिलाओं की शैक्षिक और आर्थिक , सामाजिक स्थिति पर जाति व्यवस्था के प्रभाव'' (Status of Dalit Women in India- Caste and Gender Based Exclusion) पी आशालता ने इस विषय पर शोध किया जिसके निष्कर्ष इस तरह रहे –

1–वैश्वीकरण के दौर में दलित महिलाओं के साथ जाति, वर्ग और लिंग आधारित भेदभाव जारी है। इसीलिए दलित महिलाएं आत्मसम्मान , बराबरी और विकास के नाम लाभ हासिल नहीं कर पातीं।

2–दलित महिलाओं को अभी भी गरिमा, समानता और विकास के मानकों पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है।

3– जातिगत भेदभाव को बनाए रखने और दलित महिलाएं शोषण के खिलाफ आवाज न उठा सकें इसके लिए उनके खिलाफ अत्याचार और हिंसा का सहारा लिया जाता है।

4– भारत सरकार दलित महिलाओं को उनका सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए कई योजनाएं चलाती है। ताकि उन्हे उनका वाजिब हक मिल सके। उनका शोषण रुक सके। दलित महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर सकें।

5– दलितों को आत्मनिर्भर बनाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि वो अन्याय के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड सकें।[3]

3–'' भारत में अछूतों का भविष्य– एक केस स्टडी''' (Future of Untouchables in India: A Case Study of Dalit) विषय पर लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय के शोधार्थी अब्दुल माजिद ने शोध किया। इस शोध के निष्कर्ष इस प्रकार रहे–

1– दलित परंपरागत रूप से असमानता का शिकार रहा है। वे सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं

2– समाज में उनकी भूमिका, उनकी सामाजिक स्थिति से निर्धारित होती है। अभी भी दलित आर्थिक शोषण के शिकार हो रहे हैं। शिक्षा, राजनीति में उनकी भागीदारी में सुधार हुआ है। लेकिन वह अभी भी बहुत कम है।

3– दलित समाज आर्थिक क्रियाकलापों में पूर्ण रूप से शामिल नहीं हैं।

4– दलित समाज आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक मामलों में निर्णय की प्रकिया में पूर्ण रूप से शामिल नहीं हैं।

5– दलितों के सशक्तिकरण में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से भेदभाव प्रमुख बाधाएं हैं।

6– नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में उनका दखल होना बेहद जरूरी है ताकि उनकी सामाजिक – आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।[4]

4– ''दलित आंदोलनों की बाढ़'' बीबीसी हिंदी सेवा के लिए वरिष्ठ पत्रकार और दलित चिंतक दिलीप मंडल ने 2014 के बाद के दलित आंदोलन और मीडिया की भूमिका विषय पर एक विश्लेषणात्मक लेख लिखा। इस लेख मे दीपक मंडल कई आंदोलनों का उदारण देते हुए लिखते हैं कि–

1–तमाम आंदोलनों में एक बात गौर करने लायक है कि हर आंदोलन उत्पीड़न की किसी घटना के बाद स्वतः स्फूर्त तरीके से उभरा। इनमें से किसी के पीछे कोई योजना नहीं थी और न कोई ऐसा संगठन था, जो इन आंदोलनों को राज्यस्तरीय या राष्ट्रीय रूप देता।

2– मेनस्ट्रीम मीडिया आम तौर पर दलितों की ख़बरों की अनदेखी करता है, या फिर उनके नज़रिए से खबरें नहीं देता। ऐसे में नई सूचना तकनीक ने इन आंदोलनों में अनजाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है।

3–पिछले दस साल में लगभग हर गांव–कस्बे तक और कई जगह तो हर हाथ में मोबाइल फ़ोन पहुंचा है। यानी लोगों के पास सूचना–दुख–दर्द–खुशी आदि को बांटने का एक ज़रिया आ गया है। इतिहास पर गौर करने से पता चलता है कि दलितों को पढ़ने, लिखने का मौका काफी देर से मिला। अपनी बात बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों और जिस कौशल की जरूरत होती है, वह उनके पास कुछ दशक पहले तक नहीं था। लेकिन मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया ने उनके सामने बड़ा दरवाजा खोल दिया है। इसीलिए उनके बीच हो रहे आपसी संवाद की लहर अब बाढ़ का रूप ले चुकी है।

4–यही वजह है कि जब भी कोई घटना घटित होती है मीडिया में उसकी कवरेज कम या नहीं होने के बाद भी दलितों में उसकी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रतिक्रिया के परिणाम के तौर पर आंदोलन शुरू होते हैं।[5]

5–मीडिया में दलित आंदोलन के लिए कोई जगह नहीं? – भोपाल से प्रकाशित होने वाली शोध पत्रिका मीडिया विमर्श में लिखे लेख में संजय कुमार कहते हैं कि –

1– भारतीय मीडिया में दलित आंदोलन के लिए कोई जगह नहीं है। वह क्रिकेट, सिनेमा, फैशन, तथाकथित बाबाओं, सनसनी, सेक्स–अपराध, भूत–प्रेत और सेलिब्रिटीज के आगे–पीछे ही मस्त रहती है। इसके लिए अलग से संवाददाताओं को लगाया जाता है। जबकि जनसरोकार एवं दलित–पिछड़ों से संबंधित खबरों को कवर करने के लिए अलग से संवाददाता को बीट देने का प्रचलन लगभग खत्म हो चुका है।

2– इसे बाजारवाद का प्रभाव मानें या द्विज–सामंती सोच। अखबार हो या खबरिया चैनल, दलित आंदोलन कभी मुख्य खबर नहीं बनती है। दलित उत्पीड़न को बस ऐसे दिखाया जाता है जैसे किसी गंदी वस्तु को झाड़ू से बुहारा जाता हो?

3– मीडिया के आकलन से साफ है कि समाज के अंदर दूर–दराज के इलाकों में घटने वाली दलित उत्पीड़न की घटनाएं, धीरे–धीरे मीडिया के पटल से गायब होती जा रही है।

4– रविवार, दिनमान, जनमत जैसी प्रगतिशील पत्रिकाओं में दलितों से संबंधित रिपोर्ट आ जाती थी। खासकर, बिहार और उत्तर प्रदेश में दलितों पर होते अत्यचार को खबर बनाया जाता था। दलित त्पीड़न पर लिखने वाले बिहार के वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत मानते हैं कि 'अब मुख्यधारा की मीडिया, दलित आंदोलन से जुड़ी चीजों को नहीं के बराबर जगह देती है। पत्र–पत्रिकाएं कवर स्टोरी नहीं बनाते हैं। जबकि घटनाएं होती ही रहती हैं। हालांकि, एकआध पत्र–पत्रिकाएं हैं जो कभी–कभार मुद्दों को जगह देते दिख जाते हैं।

5– साठ सत्र के दशक में दबे कुचले और दलितों की चर्चा मीडिया में आमतौर पर जरूर होती थी। मीडिया में दलितों, अछूतों और दबे कुचलों की चर्चा हुआ करती थी। इन खबरों को लिखने वाले पत्रकारों को वामपंथी या समाजवादी नजरिए से देखा जाता था। सत्तर के दशक में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों ने राष्ट्रीय मीडिया को बदलाव में धकेलना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया हिंदी मीडिया की जगह हिन्दू मीडिया में तब्दील हो गयी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और राजनीतिक समस्याओं के सामने दलित की, आदिवासियों की समस्याएं दबती चली गईं।

6– आजकल दलितों, दबे कुचलों और उत्पीड़न की खबरें मीडिया में ऐसे आती हैं जैसे हवा का तेज झोंका। झोंके की तरह ही ये खबरें एक दिन बाद पता भी नहीं चलती कि कहां गईं। इनका क्या हुआ।

7– आज हालात यह हैं कि मीडिया की दृष्टिकोण में तथाकथित उच्चवर्ग फोकस में रहता है। कैमरे का फोकस दलित टोलों पर नहीं टिकता।

8–अब खबर पत्रकार नहीं तय करता है बल्कि, मालिक और विज्ञापन तथा सरकुलेशन प्रमुख तय करते हैं। वे ही तय करते हैं कि क्या बिकता है और इसलिए क्या बेचा जाना चाहिए। जाहिर सी बात है 'दलित आंदोलन' बिक नहीं सकता ?

8– दलित आंदोलन पर मीडिया के दृष्टिकोण के सवाल पर बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार पलास विश्वास कहते हैं, मीडिया दलितों से जुड़ें मुद्दों को नहीं के बराबर छापती है। बंगाल में तो मीडिया दलित और पिछड़ों पर नहीं के बराबर अवसर देती है। शेष भारत में कभी–कभार दलित आंदोलन से जुड़ी बातें छप भी जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि मीडिया द्वारा दलित आंदोलन को नजर अंदाज किया जाता है। ऐसा वे जानबूझ करते हैं ताकि मुख्यधारा से दलित आंदोलन से जुड़ न सके।

9– मीडिया में दलित जीवन संघर्ष नहीं के बराबर दिखता है। वहीं गैर दलितों मुद्दों को बखूबी जगह दी जाती है। (भोपाल से प्रकाशित "मीडियाविमर्श के जून 2012 के अंक मे प्रकाशित)[6]

शोध की उप कल्पना (Hypothesis) :

1– विवेच्य समाचार पत्रों हिंदुस्तान, अमर उजाला और जनसत्ता में एससी/एसटी अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सीधी सपाट खबरें प्रस्तुत की गईं।

2– विवेच्य समाचार पत्रों में एससी/एसटी अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विवेचना और विश्लेषण करने की कोशिश नहीं की गई।

3– विवेच्य समाचार पत्रों में 21 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक की अवधि में दलित आंदोलन को लेकर हो रही सुगबुगाहट (दलित संगठनों की गोलबंदी) और सोशल मीडिया में चल रही खबरों पर बेहद कम या ना के बराबर खबरें दी गई। दलित आंदोलन को लेकर पड़ताल करने की कोशिश नहीं की गई।

4– विवेच्य समाचार पत्रों में 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान हुई हिंसा की खबरों को पूरा स्थान दिया गया।

5– विवेच्य समाचार पत्रों में 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद कारणों का विश्लेषण करने से बचा गया।

6– विवेच्य समाचार पत्रों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दलितों की नाराजगी के मुद्दों पर सधी हुई और संतुलित संपादकीय टिप्पणियां की गईं। संपादकीय नीति में संतुलन साधने की कोशिश की गई।

7– दलितों का मुख्यधारा की मीडिया पर से भरोसा कम हुआ। दलितों और दलित संगठनों में सोशल मीडिया अधिक लोकप्रिय है।

शोध के उद्देश्य (Objective) : प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

1– 2 अप्रैल के दलित आंदोलन (दलितों के भारत बंद) का समाचार पत्रों में कवरेज का अध्ययन।

2– दलित आंदोलन (दलितों के भारत बंद) को लेकर प्रकाशित की गई खबरों की प्रस्तुति का अध्ययन।

3– एससी/एसटी अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रकाशित खबरों का अध्ययन।

4– दलित आंदोलन को लेकर विवेच्य समाचार पत्रों की संपादकीय नीति का अध्ययन।

शोध प्रविधि (Rsearch Methdology) :

इस शोध के लिए अंतर्वस्तु शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया। इस शोध के लिए द्वितीयक श्रोत का प्रयोग किया गया। द्वितीयक श्रोत के लिए विवेच्य समाचार पत्रों के 20 मार्च 2018 से लेकर 5 अप्रैल 2018 तक के सभी अंकों का गहन अवलोकन और गहन अध्ययन किया गया। आवश्यकता के अनुसार साधारण सांख्यकीय पद्धति का उपयोग भी किया गया।

निदर्शन का चयन (Sample Selection) :

इस शोध के लिए दिल्ली से प्रकाशित होने वाले और उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रसार का दावा करने वाले 3 समाचार पत्रों हिंदुस्तान, अमर उजाला और जनसत्ता का चयन किया गया। विवेच्य समाचार पत्रों के 20 मार्च 2018 से लेकर 4 अप्रैल 2018 तक के अंकों का चयन किया गया।

विश्लेषण (Analysis) : आंकड़ों की दृष्टि में समाचार पत्रों में दलितों की खबरों की स्थिति

1–1 शोध के लिए चयनित समाचार पत्र

क्र–सं	पत्र / प्रकाशन स्था	अवधि	कुल पृष्ठ	संपादक/संस्थान
1	हिदुस्तान, नई दिल्ली	20/03/18– 04/04/20	326	शशि शेखर
2	अमर उजाला, नई दिल	20/03/18 – 04/04/20	296	डॉ इंदू शेखर पंचोली
3	जनसत्ता, नई दिल्ली	20/03/18 – 04/04/20	202	मुकेश भरद्वाज

1–2 समाचार पत्रों का विश्लेषण

क्र.सं	पत्र का नाम	आवधिकता	कुल	कुल	कुल विज्ञ पृष्ठ	संपादकीय के लिए आरक्षि पृष्ठ	अर्थ के लिए आरक्षित पृष	खेल के लिए आरक्षित पृष्ठ	फीचर के आरक्षित
1	हिंदुस्तान, दि	20/03/18 से 04/04/2018	16	326	131	16	14	16	16
2	अमर उजाला दिल्ली	20/03/18 से 04/04/2018	16	296	106	16	14	16	16
3	जनसत्ता, दि	20/03/18 से 04/04/2018	16	202	62	16	14	16	16

1–3 समाचार पत्रों में दलित विषयक खबरों की विश्लेषण

क्र सं	पत्र का नाम	अवधि	कुल	खबरों के कुल पृष्ठ	कुल ख	दलित वि खबरें	कुल खबरों में विषयक खबरों प्रतिशत
1	हिंदुस्तान दिल्ली	20/03/18 से 04/04/2	16	129	2104	60	2.85
2	अमर उजाला, दिल्ल	20/03/18 से 04/04/2	16	121	1764	78	4.40
3	जनसत्ता, दिल्ली	20/03/18 से 04/04/2	16	86	999	47	4.70

विश्लेषण विवरण (Detailed Analysis) : मीडिया खासतौर पर प्रिंट मीडिया में दलितों से संबंधित खबरों को बेहद कम स्थान देने का चलन है। ये चलन किसी मानक या किसी नियम के तहत नहीं बल्कि स्व–नियंत्रित है। इसके लिए बाजार, सर्कुलेशन, पत्रों में दलितों की कम उपस्थिति आदि तमाम कारण गिनाए जा सकते हैं। परंतु वास्तव में कोई भी कारण सटीक नहीं जान पड़ता है।

देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के राजधानी संस्करण में 20 मार्च 2018 से लेकर 4 अप्रैल 2018 तक की अवधि के दौरान दलितों से संबंधित खबरों का प्रकाशन जिस तरीके से हुआ उससे साफ पता चलता है कि मीडिया में दलितों को न के बराबर जगह मिलती है। हिंदुस्तान हिंदी, अमर उजाला और जनसत्ता में इस अवधि के दौरान कुल 4,867 खबरें प्रकाशित की गईं। लेकिन दलितों से संबंधित और उनके उत्पीड़न से संबंधित केवल 185 खबरें ही प्रकाशित की गईं। अलग अलग पत्रों में दलित संबंधी खबरों का प्रतिशत और भी दयनीय दिखता है।

पत्रवार औसत देखें तो हिंदुस्तान समाचार पत्र ने 20 मार्च से 4 अप्रैल की 16 दिनों की इस महत्वपूर्ण अवधि में कुल 2104 खबरों को जगह दी। इनमें दलित विषयक खबरें केवल 60 दी गईं। प्रतिशत के रूप में देखें तो हिंदुस्तान में दलित विषयक खबरों का प्रतिशत मात्र 2.85 रहा। अमर उजाला पत्र में इस अवधि में कुल 1764 खबरों का प्रकाशन किया गया। इनमें मात्र 78 दलित विषयक खबरें प्रकाशित की गईं। अमर उजाला में दलित विषयक खबरों का प्रतिशत हिंदुस्तान से कहीं बेहतर 4.4 रहा। जनसत्ता पत्र में 16 दिनों की शोध अवधि के दौरान कुल 999 खबरें प्रकाशित की गईं। इनमें दलितों से संबंधित खबरों की संख्या 47 रही। इस पत्र में दलित विषयक खबरों का प्रतिशत हिंदुस्तान, अमर उजाला दोनों से अधिक रहा। जनसत्ता में दलित विषयक 4.7 प्रतिशत खबरें प्रकाशित कीं। विश्लेषण से पता चलता है कि जनसत्ता समाचार पत्र ने दलितों की खबरों को लेकर अधिक संवेदनशीलता दिखाई। हिंदुस्तान समाचार पत्र दलितों विषयक खबरों को लेकर सबसे कम गंभीर रहा।

इस शोध में एक विशेष बात यह भी देखने में आई कि 20 मार्च 2018 को महाराष्ट्र के दलित अधिकारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उस फैसले पर विवेच्य समाचार पत्रों में कोई भी पृष्ठ आरक्षित नहीं किया गया। 2 जजों की खंडपीठ के फैसले का विश्लेषण या उसका विवरण देने की भी कोशिश नहीं की गई। खबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य अंश दिए गए। लेकिन शीर्षक इस तरह लगाए गए जिससे ध्वनित हुआ कि अब दलित उत्पीड़न की शिकायत होने पर पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं करेगी। जबकि फैसले में मुख्य बात यह थी कि दलित उत्पीड़न की शिकायत होने पर डीएसपी या सीओ स्तर पर जांच के बाद गिरफ्तारी पहले की तरह ही होगी और केस भी चलेगा।

विवेच्य समाचार पत्रों में से केवल जनसत्ता ने ही संपादकीय अभिमत प्रकाशित किया। हिंदुस्तान और अमर उजाला ने इस फैसले को संपदकीय टिप्पणी के लायक नहीं समझा। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्य खबर का शीर्षक '' एससी/एसटी एक्ट पर सीधी गिरफ्तारी पर रोक' दिया। अमर उजाला ने सीधा सपाट शीर्षक ''एससीएसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला'' दिया। जनसत्ता ने ''एससी/एसटी कानूनः गिरफ्तारी के प्रावधान में संशोधन'' शीर्षक दिया। विवेच्य तीनों समाचार पत्रों के शीर्षक देखने से स्पष्ट होता है कि केवल जनसत्ता ने फैसले को लेकर संवेदनशीलता दिखाई। हिंदुस्तान ने जो शीर्षक दिया वह आक्रामक था। अमर उजाला का शीर्षक सामान्य था तो जनसत्ता का शीर्षक फैसले को लेकर बेहद संतुलित और अधिक समझ में आने वाला था।

जनसत्ता ने फैसले को लेकर दलितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई और संपादकीय टिप्पणी की। 'कसौटी पर कानून' शीर्षक से की गई संपादकीय टिप्पणी में जनसत्ता ने फैसले के पक्ष और विपक्ष की बात कही और यह भी स्पष्ट किया कि फैसले का अर्थ क्या है। किसे इस फैसले से क्या मिला। दलित उत्पीड़न के कानून पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा। दलित संगठनों ने इस फैसले की आलोचना की। लेकिन जनसत्ता के अलावा बाकी के दो अन्य समाचार पत्रों हिंदुस्तान और अमर उजाला ने दलित संगठनों के विरोध को जगह देना जरूरी नहीं समझा। जनसत्ता ने 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक तकरीबन हर दलित मुद्दे पर छोटे या बड़े रूप में खबरें प्रकाशित कीं लेकिन हिंदुस्तान और अमर उजाला समाचार पत्र में दलितों से संबंधित खबरें जनसत्ता के मुकाबले बहुत कम प्रकाशित की गईं।

विश्लेषण से ये भी पता चलता है कि मीडिया खासकर प्रिंट मीडिया दलितों के प्रति लापरवाही या उपेक्षात्मक रवैया रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों के 2 अप्रैल को बुलाए गए भारत बंद की खबर हिंदुस्तान और जनसत्ता यानि विवेच्य तीनों समाचार पत्रों के 1 और 2 अप्रैल 2018 के अंक में नहीं दी गई। हालांकि अमर उजाला में आंदोलन करने की संक्षिप्त खबर जरूर दी गई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप में 2 अप्रैल को हुए भारत बंद और उसमें हुई भारी हिंसा, तोड़फोड़ और मौतों की खबर 3 अप्रैल को विवेच्य तीनों समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ से लेकर अंदर के दो से तीन पृष्ठों पर प्रकाशित की गई। दर्जनों तस्वीरें भी प्रकाशित की गई। शीर्षक तीनों समाचार पत्रों के अलग अलग रहे। हिंदुस्तान ने सबसे पहली खबर **''दलित संगठनों का विरोध हिंसक हुआ, 10 की मौत''** शीर्षक से दी। 2 अप्रैल को आंदोलन की कोई खबर नहीं गई। लेकिन 3 अप्रैल को पूरा पहला पृष्ठ आंदोलन के नाम रहा। खबरें सूचनात्मक प्रकृति की रही। ग्राफिक्स के जरिए पहले पृष्ठ पर ये भी जानकारी दी गई कि देश के कौन कौन से हिस्से हिंसा से प्रभावित हुए। दो अन्य पृष्ठों पर केवल आंदोलन की खबरें ही प्रकाशित की गईं। अमर उजाला ने 2 अप्रैल को आंदोलन होने की छोटी सी खबर सूचना के रूप में दी थी। लेकिन 3 अप्रैल को पहले पृष्ठ की सबसे बड़ी खबर आंदोलन को लेकर प्रकाशित की गई। अमर उजाला ने आंदोलन की खबर को **''हिंसक प्रदर्शन में जल उठे 6 राज्य,12 की मौत''** शीर्षक के साथ पहली लीड बनाया। पत्र के अंदर के 2 पृष्ठों में आंदोलन की खबरों को पर्याप्त जगह दी गई। जनसत्ता ने **'भारत बंद में 9 की मौत'** शीर्षक के साथ पहले पेज पर पहली लीड दी। अंदर के तीन पृष्ठों में आंदोलन से संबंधित खबरें दी गईं। तीनों समाचार पत्रों में आंदोलन को लेकर संयमित भाषा मे संपादकीय, नेताओं की टिप्पणियां और पुलिस के बयानों को भी स्थान दिया गया। केंद्र के मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बयान को भी प्रमुखता दी गई।

अगले दिन यानि 4 अप्रैल को भी विवेच्य तीनों समाचार पत्रों में आंदोलन से संबंधित खबरें प्रकाशित की गई। हिंदुस्तान पत्र के 4 अप्रैल के अंक का प्रथम पृष्ठ आंदोलन के नाम रहा। इसमें दलितों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के विरोध में हुई हिंसा के लिए आपत्तिजनक **'प्रतिशोध"** शब्द का प्रयोग किया गया। जनसता में **'दलित नेताओं के घर आगजनी'** और अमर उजाला ने **'आंदोलन कैसे फैला'** शीर्षक के साथ मुख्य खबर दी।

अमर उजाला ने लीक से अलग हटकर आंदोलन के पीछे के 'हाथ' को उजागर किया। स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आंदोलन किसने, किसके कहने पर, क्यों, कैसे और कहां से शुरू हुआ। किसने योजना बनाई। इन सभी सवालों का जवाब देते हुए अमर उजाला ने खबर 4 और 5 अप्रैल को विस्तार से खबर प्रकाशित की। इसमें ये बताया कि दलित चिंतक और इंडिया टुडे समूह से जुड़े रहे नामी पत्रकार दिलीप मंडल की पोस्ट से आंदोलन को हवा मिली। उन्होंने कोर्ट के फैसले को लेकर पोस्ट डाली जो तेजी से वायरल हुई। मोबाइल पर व्हाटसएप के जरिए ही दलितों के समूह एक दूसरे से जुडे। आंदोलन की रूपरेखा बनी और आंदोलन बेकाबू और हिंसक हुआ। अमर उजाला, जनसत्ता और हिंदुस्तान ने 4 अप्रैल को सप्रीम कोर्ट मे मामले को लेकर दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट के फैसले की खबर दी। हिंदुस्तान ने SC का अपना फैसले बदलने से इंकार' शीर्षक से केवल सूचनात्मक खबर दी। अमर उजाला ने इसी खबर को थोड़ा विस्तार देते हुए लिखा– जजों ने कहा कि हमारे फैसले को ठीक से पढ़ा नहीं गया। अदालत की राय को भी प्रमुखता दी गई। जनसत्ता ने भी 4 अप्रैल को आंदोलन के समर्थन और विरोध की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले पर कायम रहने की खबर देने के साथ जजों की राय 'जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने हमारे फैसले को पढ़ा नहीं है उन्हें स्वार्थी लोगों ने गुमराह किया' भी पाठकों के साथ साझा की। विवेच्य तीनों समाचार पत्रों में आंदोलन के बाद दलितों से संबंधित खबरों की बाढ़ जैसी आ गई।

हिंदुस्तान में 1 अप्रैल को दलितों, दलित आंदोलन या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित एक भी खबर का प्रकाशन नहीं किया गया। इसी पत्र में 2 अप्रैल को प्रथम पृष्ठ पर केवल ये सूचना दी गई

कि केंद्र सरकार एससी/एसटी एक्ट को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। 2 अप्रैल के अंक में भारत बंद बुलाए जाने को लेकर किसी भी तरह की सूचना या खबर नहीं दी गई। हालांकि बंद को लेकर पंजाब में परीक्षा टाले जाने और बंद को समर्थन देने वाले संगठनों से संबंधित सूचनाएं जरूर दी गईं। लेकिन 2 अप्रैल को हुए भारत बंद के बाद 3 अप्रैल को अचानक दलित मुद्दे की खबरों की बाढ़ आ गई। इस पत्र में 3 अप्रैल को छोटी बड़ी कुल 35 खबरें प्रकाशित की गईं। दलितों के आंदोलन को भारी जगह दी गई। अचानक दलितों के मुद्दे पर अखबार ने प्रथम पृष्ठ के साथ दो अन्य पृष्ठ भी समर्पित किए। पहला पेज आंदोलन के नाम रहा। विशेष के तहत 'आंदोलन की आंच' शीर्षक से कुल सात खबरें प्रकाशित की गईं। हिंदुस्तान ने 3 अप्रैल को दलित आंदोलन के मुद्दे पर नपी तुली भाषा में और सबको संतुष्ट करने की शैली में संपादकीय भी लिखा गया। हिंदुस्तान में 4 अप्रैल को भी पहले पेज में आंदोलन की खबरों को पूरा सम्मान दिया गया। दलितों से संबंधित मुद्दों पर कुल 17 खबरों का प्रकाशन किया गया।

अमर उजाला समाचार पत्र में दलितों के मुद्दों पर खबरों की स्थिति हिंदुस्तान से थोड़ा बेहतर रही। अमर उजाला में 1 अप्रैल को दलित मुद्दे पर कुल 3 खबरों का प्रकाशन किया गया। कई जगह पर अंबेडकर प्रतिमाओं पर क्षति पहुंचाने से संबंधित खबरों को जगह दी गई। अगले दिन यानि 2 अप्रैल को अमर उजाला में दलितों से संबंधित केवल 2 खबरों को जगह दी गई। लेकिन भारत बंद बुलाए जाने की खबर को 6 कॉलम मे प्रमुखता से पहले पेज पर जगह दी गई। भारत बहंद के दौरान हुई हिंसा के बाद अगले दिन यानि 3 अप्रैल को इस पत्र में दलितों से संबंधित खबरों की बाढ़ आ गई। आंदोलन से संबंधित छोटी बड़ी कुल मिलाकर 38 खबरों को जगह दी गई। पहला पृष्ठ आंदोलन के नाम रहा। इसके अतिरिक्त 3 अन्य पृष्ठों पर आंदोलन की खबरें छाई रहीं। पहले पृष्ठ पर 'भारत बंद–उपद्रवी आजाद' शीर्षक के साथ मुख्य खबर दी गई। 'हिंसक प्रदर्शन में जल उठे 6 राज्य, 12 की मौत' और 'यूपी में सड़कों पर अराजकता का राज' जैसे शीर्षक दिए गए। कुल मिलाकर अमर उजाला ने हिंदुस्तान से अधिक आक्रमकता के साथ आंदोलन की खबरों को परोसा। इस पत्र में 'हिंसा समाधान नहीं' शीर्षक के साथ संपादकीय भी दिया गया। इसके अगले दिन यानि 4 अप्रैल को भी इस पत्र में आंदोलन की खबरें छाई रही। इसी पत्र में 4 अप्रैल को भी 22 खबरें दलित मुद्दे पर आंदोलन से संबंधित प्रकाशित की गईं। खास बात ये रही कि 4 अप्रैल के अंक में अमर उजाला ने आंदोलन कैसे फैला, कहां से फैला, इसके मूल श्रोत के बारे में संक्षेप में जानकारी दी। पत्र ने पहले पृष्ठ पर बॉक्स में दी गई खबर में लिखा ''ये आन्दोलन स्वत; स्फूर्त था। इसके पीछे किसी संस्था और राजनैतिक संगठन का हाथ नहीं था। इस आंदोलन में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही।''[7] पत्र ने आगे लिखा कि ''इंडिया टुडे के पूर्व वरिष्ठ पत्रकार और दलित चिंतक दिलीप मंडल के व्हाट्सप पर लगातार एससी/एसटी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने अपनी 26 मार्च की पोस्ट में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में दलितों के आरक्षण पर कुठाराघात करने वाले 3 फैसलों का जिक्र किया। इसे 1300 बार शेयर किया गया। इसी के साथ किसी ने 2 अप्रैल के भारत का विचार भी सोशल मीडिया में डाल दिया। दिलीप मंडल ने इसे शेयर किया। इसे राजद के तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ाया। इसी दिन एक दलित एक्टिविस्ट ने भारत बंद का पोस्टर बनाकर दिलीप को भेजा। इस पोस्टर को दिलीप ने अपने होम पेज पर लगा दिया। जिसे कई लोगों ने प्रोफाइल फोटो बना लिया।' [8] अमर उजाला ने परोक्ष रूप से न सही पर अपरोक्ष रूप से आंदोलन में दिलीप मंडल की बड़ी भूमिका बताई। लेकिन इस खबर को हिंदुस्तान ने 4 अप्रैल के अंक में जगह नहीं दी।

जनसत्ता ने दलितों के मुद्दे पर हिंदुस्तान और अमर उजाला से अधिक बेहतर तरीके से खबरें प्रकाशित की। जनसत्ता ने दलितों के मुद्दों पर 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर प्रकाशित की। इसी विषय पर पत्र ने ''कसौटी पर कानून''9 शीर्षक के साथ संतुलित संपादकीय भी दिया गया। संपादकीय में कानून, दलितों की स्थिति और कानून के दुरुपयोग की बात को भी शामिल किया गया। जनसत्ता

के 22 मार्च के अंक में दलितों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित कुल 3 खबरों को जगह दी गई। पत्र के 23 मार्च के अंक में दलित मुद्दे पर एक खबर और देश में दलितों के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए एक संपादकीय भी प्रकाशित किया गया। मार्च 24, के अंक में एससी/एसटी एक्ट को लेकर केवल एक खबर ही दी गई। हालांकि पत्र में फिल्म ''हिचकी'' की समीक्षा दो बार प्रकाशित हो गई। पत्र के दलितों के मुद्दों पर 25,26,27 मार्च के अंक में 1–1 खबर ही प्रकाशित की गई। पत्र के 28,29 मार्च के अंक में 2–2 , 30 मार्च को 3 और 31 मार्च को 2 खबरों को जगह दी गई। पत्र के 1 अप्रैल को 2 और 2 अप्रैल को भी 2 खबरों को प्रकाशित किया गया, लेकिन हैरत की बात ये रही कि पत्र के 2 अप्रैल के अंक में भारत बंद या दलित आंदोलन की कोई खबर नहीं दी गई, लेकिन अगले दिन यानि 3 अप्रैल के जनसता के अंक में हिदुस्तान और अमर उजाला की तरह ही आंदोलन की खबरों की बाढ़ आ गई। पत्र में प्रकाशित की गई छोटी बड़ी कुल 76 खबरों में से 19 खबरें यानि कुल खबरों के 25 फीसद खबरें आंदोलन के नाम रहीं। इस पत्र ने आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भैयाजी जोशी के बयान को भी जगह दी। पत्र ने 4 अप्रैल के अंक में दलित आंदोलन से संबंधित 5 खबरों को प्रमुखता से जगह दी। प्रतिशत के रूप मे देखें तो जनसत्ता ने 4 अप्रैल को कुल 44 खबरें प्रकाशित की। इनमें से 5 खबरें दलित मुद्दे पर थीं यानि 11.36 प्रतिशत खबरें दलित मुद्दों पर आधारित रहीं। अमर उजाला ने 4 अप्रैल को कुल 137 खबरें प्रकाशित कीं जिसमें 22 खबरें दलित मुद्दों पर आधारित रही। यानि 4 अप्रैल को अमर उजाला ने 16 प्रतिशत खबरें दलित मुद्दों पर आधारित रहीं। हिंदुस्तान ने 4 अप्रैल को कुल 124 खबरें प्रकाशित कीं, इनमें से 17 खबरें दलित मुद्दों पर आधारित रहीं। यानि हिंदुस्तान में दलित मुद्दों पर 4 अप्रैल को 13.7 प्रतिशत खबरों को जगह दी।

निष्कर्ष (Conclusion) :

1–प्रिंट मीडिया में दलित मुद्दों को सही तवज्जो या पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है। विवेच्य समाचार पत्रों हिंदुस्तान और अमर उजाला के राष्ट्रीय संस्करणों के अध्ययन से पता चलता है कि दलितों की समस्याओं और उनसे जुड़े मुद्दों की खबरों के प्रकाशन को लेकर प्रिंट मीडिया में एक हिचक है। यह हिचक भी हो सकती है। इसे उपेक्षा का नाम भी दिया जा सकता है।

2– विवेच्य तीनों समाचार पत्रों में से केवल जनसत्ता ऐसा समाचार पत्र है जिसमें अध्ययन अवधि के दौरान लगभग हर दिन दलितों के मुद्दों को लेकर कम से कम एक खबर जरूर देने की कोशिश की गई।

3– एससी/एसटी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विवेच्य तीनों समाचार पत्रों में विश्लेषण, विवेचना और फैसले के निहितार्थ देने की ईमानदार कोशिश नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही कि उसका फैसला दलितों के खिलाफ नहीं है। उसके फैसले को लेकर स्वार्थी लोगों ने भ्रम फैलाया। विवेच्य तीनों समाचार पत्रों में से केवल अमर उजाला में जजों की टिप्पणी को जगह दी गई, लेकिन फैसले की पूरी व्याख्या से जानबूझकर या अनजाने में परहेज किया गया।

4–सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलितों के आंदोलन को लेकर एकजुट होने की खबरें विवेच्य तीनों समाचार पत्रों में नहीं दी गई। दलित संगठनों या दलित चिंतकों के लामबंद होने की खबरें नहीं दी गईं।

5–सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों के 2 अप्रैल को बुलाए गए भारत बंद की खबर केवल अमर उजाला ने ही प्रकाशित की। जनसत्ता और हिंदुस्तान ने भारत बंद बुलाए जाने की खबर की उपेक्षा की। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि विवेच्य तीनों समाचार पत्रों के संवाददाताओं, संपादकीय विभाग से दलितों के आंदोलन को समझने, उसका आकलन करने में चूक हुई।

6–आमतौर पर किसी भी तरह के बंद या आंदोलन की खबर और उससे पड़ने वाले प्रभाव की खबर जैसे रूट डाईवर्जन, प्रशासनिक एहतियात जैसी खबरें प्रकाशित की जाती हैं। ताकि सुबह का अखबार पढ़कर लोगों को उसके बारे में पता चल सके। लेकिन दलित संगठनों के भारत बंद को लेकर

समाचार पत्र संस्थानों ने गंभीरता नहीं दिखाई। इसके कई कारण हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि समाचार पत्र संस्थानों के खबर नवीसों को भारत बंद की सूचना नहीं मिली हो। हालांकि सूचनाओं के विस्फोट के इस युग में यह असंभव सी बात जान पड़ती है। यह भी हो सकता है कि भारत बंद की सूचना पत्र संस्थानों के संपादकीय विभाग में कार्य कर रहे पत्रकारों को गंभीर प्रकृति की न लगी हो। यह जानबूझकर किया गया होगा, ऐसा मानना उचित नहीं होगा।

7–सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दलितों की नाराजगी, राजनैतिक दलों की इस विषय पर टिप्पणियों को विवेच्य समाचार पत्रों में जगह तो दी गई लेकिन खबरों का प्रस्तुतिकरण बेहद साधारण यानी सीधा सपाट रहा। खबरों में मूल्य वर्धन (value addition) की कोशिश नहीं की गई। लेकिन 2 अप्रैल के भारत बंद की घटना और इस दौरान हुई हिंसा की पूरी खबरें दी गईं। भारत बंद के दौरान हुई हिंसा की खबरों के प्रस्तुतिकरण में पूरी सावधानी बरती गई। हर तरह की खबर दी गई। आकर्षक शीर्षक भी दिए गए। लेकिन हिंदुस्तान और अमर उजाला समाचार पत्र ने हिंसा की खबरों को आक्रामक रूप से प्रस्तुत किया।

8–आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों की समाचार पत्रों में व्याख्या और विश्लेषण प्रकाशित किया जाता है। फैसलों पर विशेषज्ञों की रात भी खबरों के साथ प्रकाशित की जाती है। परंतु एससी/एसटी मुद्दे पर आए फैसले की व्याख्या और फैसले का विश्लेषण समाचार पत्रों में विस्तार से नहीं दिया गया या उससे बचा गया।

9– सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दलितों के आंदोलन को लेकर विवेच्य तीनों समाचार पत्रों में स्पष्ट संपादकीय नीति देखने को नहीं मिली। फैसले के दिन और आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के दूसरे दिन सधी हुई और सबको खुश करने वाली संपादकीय टिप्पणियां की गईं। जनसता ने अध्ययन अवधि के दौरान भारत में दलितों की स्थिति पर भी संपादकीय लेख प्रकाशित किया।

10– विवेच्य तीनों समाचार पत्रों से दलितों के भारत बंद और उसके प्रभाव को आंकने में निश्चित तौर पर चूक हुई। दलितों के मुद्दों की तरह एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनकी नाराजगी/ प्रतिक्रिया की प्रिंट मीडिया में उपेक्षा की गई।

11– दलितों, दलित संगठनों, दलित चिंतकों ने मुख्यधारा की मीडिया की उपेक्षा की वजह से सोशल मीडिया को अपने विचारों, भावों, गतिविधियों की अभिव्यक्ति के लिए वैकल्पिक साधन के रूप में सोशल मीडिया या माध्यमों का वृहद रूप में प्रयोग शुरू किया है। यही वजह रही कि 2 अप्रैल के आंदोलन के बारे में मुख्यधारा की मीडिया को इसकी भनक नहीं लगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography)

1- Love raghuvansi, Apr 02, 2018 | 14:02 IST hindi.timesnownews.com

2- New media and empowerment of dalits , 1 KN Mahadevaswamy, 2 Dr. Varghese PA ,International Journal of Multidisciplinary Education and Research , ISSN: 2455-4588. Impact Factor: RJIF 5.12. www.educationjournal.in , Volume 3; Issue 1; January 2018

3- Status of Dalit Women in India- Caste and Gender Based Exclusion Ashalatha.P- https://www.worldwidejournals.com/.../February_2013/ Volume : 2 | Issue : 2 | february 2013 ISSN - 2250-1991

4- Future of Untouchables in India: A Case Study of Dalit. Abdul Majid University of the Punjab,Lahore South Asian Studies, A Research Journal of South Asian Studies,Vol. 27, No. 1, January-June 2012, pp. 263-285

5- DeepakMandal,https://www.bbc.com/hindi/india-42591124 (7जनवरी 2018)

6 –संजय कुमार, शोध पत्रिका मीडिया विमर्श, भोपाल, अंक जून 2012

7 –अमर उजाला, नई दिल्ली, 04/04/18, पृष्ठ नंबर एक

8 –वही

9 –जनसत्ता, नई दिल्ली, 21/03/18 संपादकीय पृष्ठ 6

10 –दैनिक हिदुस्तान, नई दिल्ली, 20/03/18 से 04/04/2018 तक, कुल 16 अंक

11 –अमर उजाला, नई दिल्ली, 20/03/18 से 04/04/2018 तक, कुल 16 अंक

12 –जनसत्ता, नई दिल्ली, 20/03/18 से 04/04/2018 तक, कुल 16 अंक